<u>उत्तर पश्चिम रेलवे</u>

प्रधान कार्यालय
जयपुर।

सं. एनडब्ल्यूआर–एचक्यू0ओपीटीजी(संवनि)/6/2021 दिनांक 15.05.2025

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक – अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषय : नुकसानग्रस्त या दोषपूर्ण वाहन

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या–5

4.29 नुकसानग्रस्त या दोषपूर्ण वाहन.–

(1) यदि कोई वाहन पटरी से उतर जाता है तो उसे, स्टेशनों के बीच तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि सक्षम गाड़ी–परीक्षक उसकी जांच करके उसे पास नहीं कर देता–

परन्तु यदि कोई वाहन स्टेशनों के बीच पटरी से उतर जाता है किन्तु उसे फिर से पटरी पर चढ़ा दिया जाता है तो लोको पायलट यदि सुरक्षित समझता है तो, उस वाहन को धीमी गति से अगले स्टेशन तक ले जाएगा।

(2) यदि ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर को गाड़ी के किसी भी वाहन की दशा में गाड़ी परीक्षक द्वारा उसकी जांच की जाने से पहले ही किसी संकट की आशंका है तो वे लोको पायलट से परामर्श करेंगे, और यदि वह आवश्यक समझता है तो उस वाहन को गाड़ी से अलग कर दिया जाएगा।

स.नि.4.29(1) गर्म धुरेः–(क) कोई भी रेल कर्मचारी जब चल रही गाड़ी पर गर्म धुरा देखता है तो वह यथाशक्ति गाड़ी को रोकने और गाड़ी के कर्मचारियों को सावधान करने के लिए बाध्य होगा। स्टेशन मास्टरों और उनके कर्मचारी वर्ग को भी अपने स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों के वाहनों की हालत देखनी होगी और यदि कोई खराबी या अनियमितता दिखाई पड़े तो यदि संभव हो तुरन्त गाड़ी को रोकने की कार्यवाही करनी होगी। यदि गाड़ी को रोका न जा सके तो जिस ओर गाड़ी जा रही हो उसी ओर के अगले स्टेशन को शीघ्र संदेश द्वारा सूचना देनी होगी। इस संदेश में अंग्रेजी कोड शब्द गैमर (GAMMER) प्राइवेट नम्बर के साथ प्रयोग किया जायेगा। यदि ब्लाक यंत्र प्रयोग में हो तो 000000–0 (छः विराम एक) संकेत भेजा जाएगा।

(ख) जिन स्टेशनों पर कन्ट्रोल हो वहां आवश्यक कार्यवाही के लिए कण्ट्रोल को अवश्य सूचित करना चाहिए।

(ग)(i) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी के गर्म धुरे की सूचना मिले तो वह, जहॉ तक संभव हो, गाड़ी को मुख्य लाइन पर लेगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो, गाड़ी को लूप लाइन, जिसमें उसे लेना है, पर लेने से पहले प्रथम रोक सिगनल के बाहर रोक देगा। गाड़ी जब स्टेशन यार्ड में नियत लाइन पर आकर रुक जाये तो सेक्शन इंजीनियर (कै. व वै.) स्टाफ (गाड़ी परीक्षण स्टेशन होने पर) या लोको पायलट द्वारा गर्म धुरे डिब्बे की जांच की जायेगी।

(ii) जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी के किसी वाहन के पटरी से उतरने की सूचना मिले या जिसके रनिंग गियर किसी भी प्रकार खतरनाक समझे गये हों तो वह गाड़ी को सिगनलों के बाहर रोक देगा क्योंकि ऐसे वाहनों को आगे बढ़ने देना विशेषकर स्टेशन यार्ड के कांटों पर गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्टेशन यार्ड में लेने से पहले गाड़ी की अच्छी तरह जांच की जायेगी।

स.नि.4.29(2) लोको पायलट द्वारा गर्म घुरे का परीक्षणः– गाड़ी परीक्षण स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य स्टेशन पर यदि कोई धुरा गर्म पाया जाए तो लोको पायलट को यह निर्णय अवश्य करना होगा कि उस वाहन का आगे जाना सुरक्षित है या नहीं और यदि सुरक्षित है तो वह ट्रेन मैनेजर को तदनुसार प्रमाण–पत्र देगा।

स.नि.4.29(3) स्टेशनों के बीच धुरे का गर्म होना– यदि दो स्टेशनों के बीच कोई धुरा गर्म दिखाई देता है तो गाड़ी को अवश्य खड़ा किया जाये और लोको पायलट उस धुरे की जांच करे। अगर वह समझे कि बक्से की रिपैकिंग करने और तेल देने के बाद गाड़ी का चलना सुरक्षित हो तो वह जिस गति से गाड़ी का चलना उचित समझे उस गति से गाड़ी को अगले स्टेशन तक आगे बढायेगा जहॉ ऐसे वाहन को अलग किया जा सकता है।

स.नि.4.29(4) ट्रेन मैनेजर अपने जर्नल में यात्रा के दौरान गरम हो जाने वाले धुरों और खतरनाक डिब्बों संबंधी मामलों का विवरण लिखेंगे और उसकी सूचना मीमो द्वारा देंगे। चलने की दिशा की ओर अगले गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर इन डिब्बों की देखभाल की जायेगी।

स.नि.4.29(5) गर्म धुरे के बारे में अन्य अनुदेश –

जब तक कि गर्म बाक्स (हॉट बॉक्स) का प्रयोग गाड़ी परीक्षण कर्मचारियों की देख रेख में हो रहा, अन्यथा जान–बूझकर उसका प्रयोग जारी रहने देना दण्डनीय अपराध है। ऐसा कोई काम करना जिससे धुरा बक्स असुरक्षित हो जाए जैसे सूत (वेस्ट) चुराना या ढक्कन हटाना, भी दण्डनीय है और जो व्यक्ति ऐसा करते पाया जायेगा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

किसी खड़ी न होने वाली गाड़ी में कोई धुरा गर्म होना सबसे अधिक खतरनाक होता है। स्टेशन कर्मचारी और केबिनमैन चौकस रहें और यदि गर्म धुरा पाएं या गर्म धुरे का संदेह हो तो अगले स्टेशन को 'रोको और परीक्षण करो' संकेत देने की व्यवस्था करें। नियंत्रित सेक्शन पर स्टेशन मास्टर ड्यूटी के कण्ट्रोलर को इसकी सूचना अवश्य दें ताकि वह तत्काल कार्यवाही कर सके।

स.नि.4.29(6)(1) धुरा गर्म होने की चरणबद्ध अवस्थाएं इस प्रकार हैः–

(क) जब बॉक्स गर्म होना आरम्भ होता है। इस अवस्था में उसे केवल हाथ से छूने पर ही मालूम हो सकता है। हाथ को बक्से के पीछे के सम्मुख भाग पर रखना चाहिए।

(ख) गर्म हुए तेल और सूत (वेस्ट) की एक तीव्र गंध होती है जो वाहन से थोड़ी दूरी पर मालूम हो सकती है।

(ग) गर्म होते समय सीटी की सी आवाज कभी भी आरम्भ हो सकती है। जो बॉक्स सीटी की आवाज कर रहा हो उसका परीक्षण अवश्य किया जाए।

(घ) बॉक्स इतना गर्म हो जाता है कि सूत और तेल में आग लग सकती है। बॉक्स में से धूंए और आग की लपटे निकलती हुई देखी जा सकती है और बॉक्स की धातु सुर्ख हो जाती है। ऐसी दशा में धुरा कुछ ही मील की दूरी में टूट जाएगा।

(2) रोलर बेयरिंग युक्त गर्म बॉक्सों के चिन्ह निम्नलिखित हैंः–

(क) रोलर बेयरिंग गरम बॉक्स और इसके आस–पास के पहिया/बोगी के चारों तरफ ग्रीज का छिड़काव हो जाता है।

(ख) ग्रीज के जलने से धुरा बक्सों से धुंआ निकलता रहता है और दिन के समय प्रायः दिखाई पड़ता है और इसमें ग्रीज जलने की गंघ भी रहती है।

(ग) रोलर बेयरिंग हाट बॉक्स पर सीटी या चटकने जैसी साधारण खनक ध्वनि सुनाई देती है। एक्सल बॉक्स का कवर भी क्षतिग्रस्त/गायब हो सकता है।

(घ) कुछ मामलों में, ग्रीज इतनी गर्म हो जाती है कि उससे आग लग जाती है और लपटें दिखाई पड़ने लगती हैं।

(ड.) अन्तिम स्थिति में पहिये फिसल जाते हैं और सामान्यतया कोई स्प्रिंग टेढ़ी हो सकती है और रोलर बेयरिंग पुर्जो के टूट जाने के फलस्वरूप पहिये ब्लाक हो जाते हैं रोलर गरम बक्सों के कारण पहिये बहुत थोड़े ही समय में गरम हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप पहिये पटरी से नीचे उतर सकते हैं।

स.नि.4.29(7) मार्ग के उन छोटे स्टेशनों पर जहां गाड़ी परीक्षण कर्मचारी नहीं है, किसी माल डिब्बे को भेजने से पहले उसके धुरा बॉक्सों की जॉच अवश्य की जानी चाहिए। यदि ढक्कन नही हैं तो यह देखना मामूली बात है कि बॉक्स में सूत है या नहीं। यदि कोई बॉक्स खाली है तो मालडिब्बे को अवश्य रोक लेना चाहिए और सबसे समीप वाले सेक्शन इंजीनियर (कै. व वै.) को संदेश भेजना होगा जो उसे पैक करने की व्यवस्था करेगा। स्टेशन मास्टर यह तसल्ली अवश्य कर लें कि ये आदेश उनके स्टेशन में चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों को बता दिये गए हैं।

स.नि.4.29(8) गर्म धुरा बॉक्स या धुरे पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। जब किसी वाहन को काटना तय कर लिया जाए तो निकटतम सेक्शन इंजीनियर (कै. व वै.) को संदेश भेजना होगा। इस संदेश में वाहन का नम्बर और मालिक रेलवे का नाम अवश्य दिया जाएगा और प्रतिलिपि बुकिंग और गन्तव्य स्टेशनों को दी जायेगी।

नोटः– उ.प.रे. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सामान्य नियम एवं सहायक नियम 4.29 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये एवं शंका होने पर अंग्रेजी संदर्भ देखें।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)

Digitally Signed by Gopal Krishna Sharma
Date: 16-05-2025 11:00:28
Reason: Approved